न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्र0संख्या–अपील डिक्री/टीए/6167 /2005 /सवाई माधोपुर

1– मोहन पुत्र हरीराम जाति रावत, निवासी बड़ा गांव कहार, तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर ।

2– हरिओम पुत्र जसराम पुत्र हरीराम (नाबालिग) जरिये प्राकृतिक सरंक्षक माता श्रीमती कमला जाति रावत, निवासी बड़ा गांव कहार, तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर ।

–अपीलांट्स

बनाम

1– शंकर पुत्र नन्दपाल, जाति मीना, निवासी बड़ा गांव कहार, तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर ।

रेस्पोडेंट

2– श्रवण पुत्र हरीराम, जाति रावत, निवासी बड़ा गांव कहार, तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर ।

3– तहसीलदार, मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर ।

–प्रफोर्मा रेस्पोडेंट्स

खण्डपीठ

सी0आर0 मीणा, सदस्य

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता अपीलार्थीगण ।

श्री मुकेश जैन एवं श्री राकेश अरोड़ा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ।

निर्णय

दिनांकः–07.04.2022

अपीलांटस द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधेपुर द्वारा अपील संख्या 44/2005 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.12.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1/ के पिता वादी नन्दपाल ने विद्वान उप जिला कलक्टर, बौली के न्यायालय में वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम बड़ागांव कहार में खसरा नंबर 1826 में कुल रकबा 61 बीघा 9 बिस्वा में से दिनांक 5.6.1974 को वादी को 2 बीघा भूमि आवंटित हुई थी और इस पर कब्जा दिया गया था । इसी भूमि में से 23 अन्य व्यक्तियों को भी 43 बीघा भूमि आवंटित हुई थी । वादी को कब्जा खसरा नंबर 1826 के उत्तर पूर्वी कोने में 2 बीघा भूखण्ड पर दिया गया जिसकी सीमायें उत्तर में खेत श्योजी वाद नन्दपाल का अलमशहूर सूतल्या वाला खसरा नंबर 1735, पूर्व में अलॉटमेंट ज्ञाना मीना खसरा नंबर 1827, दक्षिण में अलॉटमेंट जगदीश पुत्र गेंदा खसरा नंबर 1826 तथा पश्चिम में अलोटमेंट मोती व टीकाराम खसरा नंबर 1826 है । इसी खसरा नंबर में प्रतिवादी संख्या जसराम को भी 2 बीघा भूमि आवंटित हुई थी किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 को कब्जा मौके पर नहीं दिया गया ना ही प्रतिवादी ने इस पर कब्जा किया । प्रतिवादी अब वादी की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है । पटवारी हल्का ने भूखण्ड का नामांतकरण भरकर नायब तहसीलदार को दिया, जिन्होंने विवाद होने के कारण उक्त नामांतकरण को

तहसीलदार बौंली को भेज दिया । तहसीलदार, बौली ने जबरन धमकी दी है कि इस रकबे में से 2 बीघा भूखण्ड के दो टुकड़ें करेंगे जिसमें एक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 को देगें । अतः निवेदन है कि दावा डिक्री कर वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । प्रतिवादीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर जवाब दावा के बजाय काउन्टर क्लेम जवाब दावा पेश किया । तहत न्यायालय ने अपने एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.1999 द्वारा वादी का वाद खारिज किया तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया । उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादी नन्दपाल द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधी0न्यायालय ने निर्णय दिनांक 27.7.2002 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 17.8.1999 को निरस्त कर वाद को पुनः नंबर पर लेकर निर्णय व डिक्री दिनांक 7.5.2005 को पारित कर वादी का वाद खारिज किया तथा प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया । तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 7.8.2005 के विरूद्ध वादी ने प्रथम अपील विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के न्यायालय में पेश की जो निर्णय व डिक्री दिनांक 2.12.2005 द्वारा वादी की अपील स्वीकार कर उप जिला कलक्टर, बौली का निर्णय व डिक्री दिनांक 7.5.2005 को निरस्त कर वादी को आराजी खसरा नंबर 1826 रकबा 2 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया । विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 2.12.2005 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह द्वितीय अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है ।

3– हमनें उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 जा0दी0 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत निर्णय व डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया था जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी आधार एवं बिना तनकीवार निर्णय पारित किये खारिज करने में त्रुटि कारित की है । प्रतिवादी जसराम को आराजी खसरा नंबर 1826 में दिनांक 5.6.1974 को 2 बीघा आराजी का आवंटन किया गया था तथा कब्जा दिया गया था तभी से आराजी पर काबिज काश्त है । वादी/रेस्पो0 आवंटित आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहता है । अपीलांट/आवंटी का कब्जा काश्त उसी स्थान पर जिस स्थान पर आवंटन हुआ था । वादी/रेस्पो0 को तहत न्यायालय द्वारा पर्यापत अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद गवाह पेश नहीं किये है । बेदखली के वाद की मियाद 12 वर्ष है । प्रतिवादी/अपीलांट को एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है । विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्यों एवं सबूतों के तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री को खारिज कर वादी/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 2.12.2005 निरस्त किया जावे तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बौली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7.5.2005 को बहाल रखा जावे ।

5— इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ने अपनी बहस में कथन किया कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 2.12.2005 विधिसम्मत् है । ग्राम बड़ा गांव कहार तह0 मलारना डूंगर के खसरा नंबर 1826 कुल रकबा 61 बीघा 9 बिस्वा में से दिनांक 5.6.1974 को वादी को 2 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था । इसके अतिरिक्त अन्य 23 व्यक्तियों को भी 43 बीघा भूमि आवंटित हुई थी । वादी/रेस्पो0 को प्रेमचंद पटवारी द्वारा कब्जा दिया गया था । यह खसरा नंबर 1826 के उत्तर—पूर्वी कोने में 2 बीघा था जिसकी प ान अनुसार उत्तर में खेत श्योजी व वादी नन्दपाल का खसरा नंबर 1735, पूर्व में ज्ञाना मीना का खसरा नंबर 1827, दक्षिण में जगदीश पुत्र गेंदा मीना का खसरा नंबर 1826 तथा पश्चिम में मोती व टीकाराम का खसरा नंबर 1826 है । आवंटित भूमि पर वादी/रेस्पो0 काबिज काश्त है । बहस में आगे कथन किया कि खसरा नंबर 1826 में अपीलांट के पिता जसराम को भी आवंटन किया गया था किन्तु उन्हें मौके पर कब्जा नहीं दिया गया था । तहत न्यायालय ने वादी/रेस्पो0 का वाद अदम हाजरी में खारिज किया था किन्तु पुनः सुनवाई के समय न तो वादी और उनके अभिभाषक को कोई सूचना नहीं दी गई जबकि दावा पुनः नंबर पर लेने पर सूचना देना आवश्यक था । तहत न्यायालय ने वादी/अपीलांट को बिना सुनवाई किये एकतरफा में साक्ष्य प्रतिवादी लेकर दिनांक 17.8.1999 को काउन्टर क्लेम प्रतिवादी डिक्री किया है । जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विवादित आराजी पर वादी का का कब्जा काश्त दस्तावेजी साक्ष्यों से पाये जाने से वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2021 (2)

पेज 1526 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया जिसका ससम्मान अवलोकन किया गया ।

6– हमनें उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकॉर्ड का अध्ययन एवं मूल्यांकन किया ।

7– वादी नन्दपाल ने सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर के न्यायालय में वाद बाबत् उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया कि ग्राम बड़ा गांव कहार में खसरा नंबर 1826 में जिसका कुल रकबा 61 बीघा 9 बिस्वा सिवायचक था, में से दिनांक 5.6.1974 को वादी को 2 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था एवं उसी समय 23 अन्य व्यक्तियों को भी 43 बीघा के लगभग भूखण्ड अलॉट हुआ था । अलॉट होने के एक माह बाद पटवारी ने वादी को उपरोक्त आवंटनशुदा भूखण्ड का कब्जा दिया एवं तब से ही वादी आवंटित भूखण्ड पर काबिज काश्त चला आ रहा है । वादी ने अपने भूखण्ड की सीमायें भी वाद में दर्शायी है । वादी ने वाद में आगे अंकित किया कि प्रतिवादी संख्या 1 का भी 2 बीघा भूमि इसी खसरा संख्या 1826 में अलॉट हुआ था, किन्तु पटवारी ने प्रतिवादी को कहीं भी कब्जा नहीं दिया एवं प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त के भूखण्ड को हड़पना चाहता है । प्रतिवादी ने काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि खसरा नंबर 1826 में दिनांक 5.6.1974 को प्रतिवादी जसराम को भी 2 बीघा भूमि आवंटन की गई है जिसका कब्जा देकर नामांतकरण संख्या 205 दिनांक 30.09.1974 को गैर खातेदारी का प्रतिवादी के नाम खोला गया तब से ही प्रतिवादी आराजी मुतनाजा पर काबिज चला आ रहा है । प्रतिवादी ने आवंटित भूखण्ड का पटवारी हल्का द्वारा जो कब्जा दिया गया था उसकी सीमायें निम्न प्रकार अंकित की है । पूर्व में–ज्ञाना मीणा की अलॉटशुदा भूखण्ड खसरा नंबर 1826, पश्चिम में– मोती व टीकाराम

की अलॉटशुदा भूखण्ड खसरा नंबर 1826, उत्तर में– नाला व उसके बाद गोपी पुत्र कल्याण, श्योजी मीना व प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नंबर 1826 तथा दक्षिण में–जगदीश पुत्र गेंदा मीना की अलॉटशुदा भूखण्ड खसरा संख्या 1826 होना अंकित किया है । प्रतिवादी ने अपने काउन्टर क्लेम में वादी नन्दपाल को आवंटित भूमि का पटवारी हल्का द्वारा दिये कब्जे की सीमायें निम्न प्रकार बताई हैः– पश्चिम में राम जमादार अलॉटशुदा भूखण्ड खसरा नंबर 1826, पश्चिम में– गोरधन मीना का अलॉटशुदा भूखण्ड खसरा संख्या 1826, उत्तर में– भेरू पुत्र धन्ना जांगिड़ व रामप्रसाद व प्रहलाद पि0 भैरू जांगिड़ व विलास पुत्र जनस्या मीनपा का अलॉटशुदा भूखण्ड खसरा संख्या 1826 तथा दक्षिण में– मुुरारी पुत्र हरिनारायण मीना का अलॉटशुदा भूखण्ड खसरा संख्या 1826 होना अंकित किया है । सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर ने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.8.1999 को वादी नन्दपाल का वाद खारिज किया तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार कर प्रतिवादी जसराम को सीमा दर्शाते हुए खसरा नंबर 1826 में 2 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया । तत्पश्चात् वादी नंदपाल द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 पेश किया गया जिसे परीक्षण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 27.7.2002 से स्वीकार कर वाद को पुनः नंबर पर लिया तत्पश्चात् उप जिला कलक्टर बौंली द्वारा दिनांक 7.5.2005 को निर्णय व डिक्री पारित कर वादी नंदपाल का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया । उप जिला कलक्टर बौंली के निर्णय व डिक्री दिनांक 7.5.2005 के विरूद्ध वादी नन्दपाल द्वारा प्रथम अपील विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के न्यायालय में पेश की गई जिसे विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 2.12.2005 द्वारा

स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 7.5.2005 को निरस्त कर वादी नंदपाल का वाद डिक्री किये जाने तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को खारिज करने का निर्णय पारित किया है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी नंदपाल एवं प्रतिवादी जसराम दोनों को ही विवादित भूमि खसरा नंबर 1826 में 2–2 बीघा भूमि का अन्य के साथ आवंटन हुआ है । विवादित भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी दोनों ही पक्ष अपना–अपना कब्जा काश्त होना बताते है जिससे स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद है । विवादित आराजियात में किस पक्ष को किस स्थान पर आवंटन किया जाकर कब्जा संभलाया गया है इस तथ्य का निर्धारण उभयपक्ष को किये गये आवंटन की पत्रावली, बैठक कार्यवाही विवरण तथा आवंटन उपरांत पटवारी हल्का द्वारा कब्जा काश्त संभलाये जाने के समय तैयार घटनाबही एवं नक्शा तरमीम इत्यादि दस्तावेजी साक्ष्यों के परीक्षण उपरांत ही किया जा सकता था । राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने केवल मात्र खसरा परिवर्तित निर्धारण एवं सिंचाई विभाग की रसीदों के आधार पर वादी का कब्जा काश्त माना है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

8– उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 2.12.2005 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधेपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादी एवं प्रतिवादी को किये गये आवंटन की पत्रावली, बैठक कार्यवाही विवरण तथा आवंटन की पालना में पटवारी हल्का द्वारा कब्जा सुपुर्द करते समय तैयार घटना बही एवं नक्शा तरमीम इत्यादि दस्तावेजी साक्ष्य

तलब कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद में विधिनुसार निर्णय पारित करे ।

9– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर हो।

10– निर्णय सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा) **(सी0आर0मीणा)**

सदस्य **सदस्य**